प्रो॰ रामदेव भंडारी : इनके लिए भी उसी प्रकार से ट्रैफिक रोका जाता है, इससे बड़ी कठिनाई होती है। इस पर भारी व्यय होता है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी : इनके लिए भी ऐसी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है। सभापति जी, पूर्व प्रधानमंत्री ठीक हैं लेकिन पूर्व उप प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसी व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता है ...(व्यवधान)... इसकी क्या आवश्यकता है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बैठ जाइए, हो गया...(व्यवधान)...काफी हो गया है ...(व्यवधान)...बैठ जाइए...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी : हम लोगों को ट्रैफिक के कारण दिक्कत होती है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : बैठ जाइए...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी : इनके लिए इसकी क्या आवश्यकता है...(व्यवधान)...सभापति जी, इनकी वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो जाता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है...(व्यवधान)...दूसरा क्वेश्चन बोल दिया गया है ...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए...(व्यवधान)...

प्रो॰ रामदेव भंडारी : सभापति जी, क्या आवश्यकता है...(व्यवधान)...

श्री सभापति : आप बैठ जाइए, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती वंगा गीता...(व्यवधान)...आप बैठ जाइए...(व्यवधान)...आपकी बात खत्म हो गई ...(व्यवधान)...बैठ जाइए...(व्यवधान)...आपका टाइम खत्म हो गया। श्रीमती वंगा गीता।

Non-utilisation of funds under the Rural Drinking Water Schemes

*323. SHRIMATI VANGA GEETHA: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the outlay for the Rural Drinking Water Schemes is not being utilized fully for years together;

(b) the reasons for non-utilisation of funds by the States for drinking water in rural areas; and

(c) the amount earmarked for Swajaldhara Scheme during 2002-03?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir. The position regarding funds finally allocated and released for rural drinking water supply schemes under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) during the last 3 years is as under:

(Rs. In Crores)

Year	Allocation funds (final)	Funds released	Transferred to NLP of NE States	Unspent balance/ Savings
2001-02	1974.95	1943.05	31.31	0.59
2002-03	2110.00	2100.70	5.98	3.32
2003-04	2565.01	2564.90	0.00	0.11

(b) Some of the States are not able to utilize funds fully under Accelerated Rural Water Supply Programme (ARWSP) within the same financial year because of a number of reasons like their inability to match the releases with an equal amount from State resources, inability to send complete proposals with all requisite documents and late submission of proposals, resulting in late releases.

(c) No specific funds were earmarked for Swajaldhara during 2002-03. However upto 20% of funds under ARWSP can be spent on reform projects such as sector reform and swajaldhara.

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, my first supplementary pertains to part (b) of the answer given by the hon. Minister. The answer is that some States have not been able to utilise funds fully. According to my knowledge, utilisation of funds is very poor. It is less than 33 per cent of the total funds that have been allocated; 67% have been surrendered. What concrete steps are being taken to utilise all the funds allocated for rural drinking water supply? What is the total amount that is required for

providing safe drinking water to all the villages? By what time will the programme be completed?

Secondly, I would like to know whether the projects pertaining to provision of drinking water supply in all the primary school premises in the States would be affected by the consolidation of all drinking water supply schemes or not.

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, यह कहना कि जो राशि दी जाती है, वह खर्च नहीं होती है, यह सही नहीं है। तीन साल की जो सूचना मेरे पास है, उसके अनुसार 2001-02 में 1974 रुपए का आवंटन हुआ, जिसमें से 1943 रुपए...(व्यवधान).....

श्री बलबीर के॰ पुंज: सभापति जी, 1974 रुपए का आवंटन हुआ?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, 1974 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। इसमें से 1943 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को रिलीज कर दिए गए हैं। वर्ष 2001-2002 में 2110 करोड़ था, जिसमें 2100 करोड़ रिलीज किया गया, जिसमें नॉर्थ - ईस्ट को 5.98 करोड़ किया गया। इसी तरह वर्ष 2003-2004 में 2565 करोड़ राशि थी, जिसमें 2564 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई। यहां से पूरी राशि राज्य सरकार के पास रिलीज कर दी गई और राज्य सरकारें उसका खर्च करती हैं। यह सही है कि कुछ राज्य सरकारें खर्च करने में कुछ पिछड़ जाती हैं, लेकिन ऊपर मोनीटरिंग कमेटी है, महीने-महीने रिव्यू करके उसको राज्य सरकारों के साथ देखा जाता है कि उनकी क्या कठिनाइयां हैं ताकि जो मिली हुई राशि है वे सही ढंग से उसको खर्च कर सकें।

पीने के पानी का एक अहम सवाल है कि शुद्ध पीने का पानी लोगों को मिले। महोदय, देश में कुछ इलाकों में आर्सेनिक वाला पानी है। अब पानी की गुणवत्ता, क्वालिटी ठीक रहे, उसके लिए भी योजना है और राशि दी जा रही है। कहीं-कहीं तो पानी में फ्लोराइड है, जो गरीब आदमी अनजाने में वह पानी पी लेता है, जो उसे मिलता है, जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है, वह मरणासन्न हो जाता है। इसी तरह से कहीं-कहीं खारा पानी है। शुद्ध पानी सभी को मिले हर बसावट में मिले, कुछ जगहों पर तो पानी का स्रोत भी नहीं है, इसके लिए हमारा एक्सेलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम है, जिसके तहत सभी राज्यों को राशि आवंटित की जा रही है। राज्य सरकारें खर्च भी कर रही हैं, लेकिन कुछ राज्य सरकारें खर्च करने में कुछ पिछड़ जाती हैं।

SHRIMATI VANGA GEETHA: Sir, my second supplementary is relating to part (c) of my original question. I would like to inform the hon. Minister that under the Swajaldhara Scheme many organisations and Gram Panchayats deposited lakhs of rupees towards beneficiary contribution in the banks. I want to know from the hon. Minister what is the total amount

deposited under the Swajaldhara Scheme and what is the fate of the proposals received under the scheme. I would also like to know whether the Swajaldhara Scheme is a separate scheme or it is a part of the ARWS.

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, पीने के पानी की जो योजना है उसके दो हिस्से हैं,- एक हिस्सा एक्सेलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम का है, इसमें जो राशि राज्यों को दी जाती है, उसमें से 20 प्रतिशत स्वजल-धारा योजना के लिए है। महोदय, इसमें यह सोचा गया कि जो लाभार्थी हैं, उनसे भी कुछ राशि ली जाए और बाकी राशि केन्द्र सरकार दे। इसमें यह कल्पना की गई कि जिन स्टेट्स में जो स्वयं पीने के पानी के संकट के भुक्तभोगी हैं, वे रहें और केन्द्र सरकार रहे। उसी में 10 प्रतिशत लाभार्थियों से लिया जाता है और 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, राज्य सरकार का अंश उसमें कोई नहीं है। माननीय सदस्या ने जो यह सवाल किया, इसमें पहले यह सैक्टर रिफॉर्म परियोजना चलाई गई थी, जिसको गांव की कमेटियां करती थीं और पंचायती राज के द्वारा यह स्वजल-धारा योजना लागू करने का प्रबंध किया गया है। इसमें पहले राज्यवार आवंटन नहीं था, अब राज्यवार आवंटन हो गया है। जिस राज्य को एक्सेलेरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम के अधीन राशि मिलेगी, उसमें 20 प्रतिशत तक स्वजल-धारा योजना में खर्च किया जाएगा। यह सरकार इस बात के लिए कृत-संकल्प है कि देश में पीने के पानी का संकट न हो और गरीब टोले में, अनुसूचित जाति, जनजाति टोले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और ऐसे हरेक विद्यालय में पीने के पानी की योजना लागू की गई है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: What about the pending proposals? So many proposals are pending (*Interruptions*)

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सर, वह राज्य सरकार के जिम्मे है। माननीय सदस्या जिस बारे में उत्सुक हैं, यह स्वजल-धारा योजना राज्य सरकार को दे दी गई है और उनको राशि भी दे दी गई है। पहले यहां से मंजूर होती थी, अब व्यवस्था है कि राज्य सरकारों को राशि दे दी जाए और राज्य सरकार ही स्वजल-धारा योजना को मंजूर करे और उसको पंचायती राज के द्वारा लागू कराए।

श्रीमती जया बच्चन: सभापति महोदय, मंत्री जी ने बताया कि मोनीटरिंग सिस्टम इन्होंने लागू किया है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि किस-किस स्टेट में यह मोनीटरिंग सिस्टम सक्सेसफुल है? और बहुत सी स्टेट्स में, जहां पानी के लिए महिलाएं मीलों पैदल चलकर जाती हैं, उनके लिए आपने कोई व्यवस्था की है?

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय? यहां से माननीय सदस्यों की जिलावार निगरानी समिति है जिस का तुरंत पुनर्गठन होने जा रहा है। इस निगरानी समिति में माननीय सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होते हैं, जो कि इस कार्य की मॉनीटरिंग करेगी। फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी मॉनीटरिंग की व्यवस्था है,

राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग की व्यवस्था और पंचायती राज जिला परिषद, प्रखंड पंचायत समिति और पंचायतें हैं जिनमें 29 लाख 20 हजार चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन सभी के द्वारा देखने व निगरानी करने की, सोशल ऑडिट करने की योजना है।... (व्यवधान)... महोदय, माननीय सदस्या ने जैसी चिंता व्यक्त की है, अभी भी करीब 6 हजार टोले ऐसे हैं, बसावट ऐसी हैं जिन में जल का स्रोत नहीं है। यह हमारे लिए चिंता का विषय जरूर है। इसी तरह से करीब 69 हजार टोले ऐसे हैं, बसावट ऐसी है जोकि पार्शली कवर्ड हैं यानी कुछ हिस्से में पानी है, कुछ में नहीं है। यह सरकार के लिए चिंता का विषय है और उस के लिए टार्गेटिड ढंग से हम योजना बना रहे हैं ऐसे टोले जहां पर अभी तक जल स्रोत नहीं है और महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है, उन को आइडेंटीफाय करके और उन के लिए तुरंत योजना बनाकर व्यवस्था किए जाने हेतु हमारा प्रयास है। उस के लिए राशि का प्रबंध किया गया है जिस से कि जो अन-कवर्ड इलाका है, पार्शली कवर्ड इलाका है- सभी में पानी का स्रोत पहुंच जाए और लोगों के पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाए।

श्रीमती जया बच्चन: सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या महिलाओं के घर के बाहर पीने के पानी का नल है और अगर नहीं है तो कब तक लगेगा?

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, हर परिवार में अभी तक नहीं है। जो लोग सक्षम हैं, वे अपने लगवाए हुए हैं, लेकिन गरीब टोले में यह प्रबंध किया गया है कि चांपाकल अथवा अन्य स्रोत से ऐसा इंतजाम किया जाए जिसमें कम-से-कम देहाती एरिया में प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी उपलब्ध हो। यही हमारा टार्गेट है और यही योजना है।

SHRI M VENKAIAH NAIDU: Mr. Chairman, Sir, I would like to know whether it is a fact that the Drinking Water Department has been taken away from the Ministry of Rural Development and has been attached to the Water Resources Ministry. Secondly, Sir, the main question is, whether the Ministry is sure about the amount unspent. He has shown it in the answer. I doubt because the figure may not be correct. I would like to know through you, Sir, about the States, which have not spent the money. Can the Minister inform the House State-wise, year-wise, amount allocated, spent and unspent because these figures, which are in front of me, do not seem to be correct also? I would like the Minister to recheck and respond to this.

डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, माननीय सदस्य इसी विभाग के मंत्री थे और ये जो कुछ इंतजाम कर के गए हैं, हम उसी को ढो रहे हैं। महोदय, जो राज्यवार जानकारी उन्होंने पूछी है, मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उस में तो मुझे काफी समय लग जाएगा। आप कहें तो मैं उसे सदन के पटल पर रख दूंगा, नहीं तो पढ़कर सुना देता हूं?

श्री सभापति: रहने दीजिए।

SHRI M VENKAIAH NAIDU Mr Chairman, Sir, he has made a comment. I have no problem It is a continuous Government. ...(*interruptions*)... If tell the truth, then he will be having difficult time because we have a State, which has not spent the money in spite of our best efforts. I am asking the Minister, what are the States which are lagging behind - one, two, three मंत्री जी, यह आप कम-से-कम हाउस को बताएं कि उस के लिए क्या करने वाले हैं और इस बारे में हाउस को विश्वास में लें कि जो फिगर्स हैं, वे करैक्ट हैं? महोदय, मैंने तो उन की कोई आलोचना नहीं की और इसमें आलोचना करने का विषय भी नहीं है क्योंकि वे कार्य स्टेट गवर्नमेंट को करने हैं।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, मैं पढ़कर सुना देता हूं कि वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 में किस राज्य को कितनी राशि दी गयी। महोदय, जो राज्य राशि खर्च नहीं करते, उन को राशि नहीं दी जाती है। यह कानून बनाकर गए हैं, हम लोग उसी का पालन कर रहे हैं। वह चाहें तो किसी खास राज्य के बारे में बता सकता हूं क्योंकि मेरे पास तो सभी राज्यों के आंकड़े हैं।

श्री सभापति: आप इसकी एक कॉपी उनके पास भेज दीजिए।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: वह मैं उनके पास भिजवा दूंगा। अभी दे दूंगा।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने कहा है कि हर आदमी को 40 लीटर पीने के पानी का हम इंतजाम करते हैं। महोदय, गांवों में केवल आदमी ही नहीं बसते हैं, जानवर भी बसते हैं। वहां गाय, भैंस भी लोग पालते हैं, तो 40 लीटर पानी में गांव का आदमी और उसका परिवार कैसे जीएगा, मंत्री जी इसका हिसाब लगा सकते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य का कहना है कि पशुओं के लिए पीने के पानी का प्रबंध करिये। ...(**व्यवधान**)..

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, दुनिया में तीन प्रतिशत मीठा पानी है, जिसे पीने वालों में आदमी, पशु-पक्षी सभी शामिल हैं। इस पानी को इन्सान, पशु-पक्षी सभी पीते हैं..।

श्री सभापति: ठीक है।

डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह: उसमें पशु भी पानी पीते हैं।